न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 325/2025
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

भूराराम बनाम गोगा व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री शाकर खान एच
विप्रार्थीगण – श्री रामजीवन विश्नोई

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 19.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण खातेदारी का खेत मौजा पंवारिया का तला में प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 777/616, 616, 776/616, 771/616, 772/616, 778/616, 775/616 रकबा कमशः 2.3148, 2.2986, 2.3391, 9.5101, 2.1519, 2.3391, 2.3391 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र लीलसर, तहसील चौहटन स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 18 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 18 को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये। विप्रार्थी सं. 18 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय में तरमीम दुरूस्तीकरण का राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 अनवान् उदाराम बनाम चनणी देवी का पेश है। उक्त राजस्व आवेदन तरमीम दुरूस्ती का अन्तिम निस्तारण एवं राजस्व रेकर्ड में बाद नेखमबंदी के राजस्व आवेदन में आगामी प्रभावी कार्यवाही करना न्यायोचित है। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। बाद सुनवाई के विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन से खारिज किया गया। मूल आवेदन का जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा पंवारिया का तला में प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 777/616, 616, 776/616, 771/616, 772/616, 778/616, 775/616 रकबा कमशः 2.3148, 2.2986, 2.3391, 9.5101, 2.1519, 2.3391, 2.3391 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र लीलसर, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षो के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन (seal)

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन